

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 317
उत्तर देने की तारीख 24.06.2019

जनजातीय वर्गों हेतु नई योजनाएं

317. श्री राजेन्द्र धेड़्या गावितः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु कोई नई नीति/योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति/योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ग) : मंत्रालय इस स्तर पर जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए कोई नई नीति/स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव नहीं करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमें मांग आधारित हैं तथा इनमें जनजातीय सहकारी समितियों, एसएचजी तथा व्यक्तिगत उद्यमियों के प्रशिक्षण, पारंपरिक जनजातीय संस्कृति क्षेत्रों जैसे जनजातीय आभूषण, चित्रकला, नृत्य शैली, संगीत तथा पाक कला, ग्राम पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन आदि में बढ़ावा तथा कौशल विकास के माध्यम से कृषि/वानिकी/प्राकृतिक संसाधन आधारित माइक्रो/ग्राम उद्योगों की स्थापना जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास की स्कीम में एमएफपी की खरीद सहित, जब बाजार मूल्य उनके अधिसूचित एमएसपी से कम हो जाता है, भंडारण सुविधाओं की स्थापना/विस्तार, एमएफपी पर आधारिक ज्ञान का विस्तार, सतत संग्रहण के लिए प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन आदि की स्थिति में विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। आधारिक ज्ञान का विस्तार, सतत संग्रहण के लिए प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन आदि सहित कार्यकलापों को जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से किया जाते हैं तथा इन कार्यकलापों पर होने वाले 100% खर्च को केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जब इस मामले पर एक अलग

स्कीम/नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है , वही जनजातीय कार्य मंत्रालय वन धन विकास कार्यक्रम के रूप में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास ' की वर्तमान स्कीम के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों को ब्रांड करने की अपेक्षा रखता है। वन धन विकास कार्यक्रम 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास ' की स्कीम के मूल्य श्रृंखला घटक का एक प्रशिक्षण तथा विकास है।

सरकार अगले पांच वर्षों के लिए जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचवर्षीय विजन प्लान तैयार कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास/कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीम/कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है :-

क्र.सं.	स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम
1	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
2	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
3	विदेश में अध्ययनरत अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
4	अजजा के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति (क) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (पहले अनुसूचित जनजातीय के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के रूप में जानी जाती थी) (ख) अध्येतावृत्ति (पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के रूप में जानी जाती थी)
5	अजजा के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
6	कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण
7	अति संवेदनशील जनजातीय वर्ग (पीवीटीजी)
8	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
9	जनजातीय उप-स्कीम (टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता(एससीए)
10	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान
11	जनजातीय वन उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत सहायता
12	राष्ट्रीय /राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता
13	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)के माध्यम से लघु वन उत्पाद(एमएफपी) तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के विपणन हेतु तंत्र
14	अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय महोत्सव और अन्य
